

हुकम

5-6-24

पञ्जावली पेश दुरी। वादी व वादी अधिवन्ता
अनुपरिष्कार। वादी व वादी अधिवन्ता की
रुक-रुक आवाज लुबार् उर्-उपापालय
में हाजिर नही हुए। अतः वाद पत्र अधिम
हाजरी अधिम पैखी में श्वारिज की जाती है
प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर वाद पूर्ति
दाखिल पत्र हो।

उपसभ्य अधिकारी
टाकरी (सुदी)